

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1
संख्या: १२५ /VII-A-1 /2021/8(16)/19
देहरादून, दिनांक: १९ जनवरी, 2021

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नीति बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा (संशोधन) नीति, 2021

- संक्षिप्त नाम 1. (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा (संशोधन) नीति, 2021 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- अध्याय-X का 2. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 में एक नया अध्याय-X निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :—

अध्याय-X. ऋषिकेश—कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/ रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट की स्वीकृति :—

- स्टोन क्रेशर, 1. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 के अध्याय-II एवं अध्याय-IX को छोड़कर अध्याय-I, अध्याय-III, अध्याय-IV, अध्याय-V, अध्याय-VI, अध्याय-VII व अध्याय-VIII के प्रावधान सामरिक महत्व की ऋषिकेश—कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होंगे।
ऋषिकेश—कर्णप्रयाग रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट एवं प्लान्ट परिसर में भण्डारण की स्वीकृतियाँ ऋषिकेश—कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार को परियोजना की अवधि अथवा याचित अवधि, जो भी न्यून हो, तक निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
इस हेतु ऋषिकेश—कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-8 में आवेदन मय शुल्क सहित निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत किया जायेगा तथा उक्त के संबंध में

निम्नानुसार गठित तकनीकी समिति से निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-9 पर संयुक्त निरीक्षण आख्या प्राप्त की जायेगी। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। तकनीकी समिति निम्नवत् होगी :-

i	निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा नामित अपर निदेशक / संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी	संयोजक
ii	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iii	प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iv	प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित वन संरक्षक स्तर का अधिकारी	सदस्य
v	संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी	सदस्य
vi	अभियन्ता (सिविल), रेल विकास निगम।	सदस्य
vii	क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।	सदस्य

उक्त तकनीकी समिति आवश्यकतानुसार विभागीय अधिकारियों एवं विशेषज्ञों को विशेष आमंत्री के रूप में आबद्ध कर सकेगी।

उक्तानुसार गठित समिति द्वारा प्लांट निर्माण तथा प्लांट परिसर में भण्डारण हेतु प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षणोंपरान्त अपनी संयुक्त निरीक्षण आख्या निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रेषित की जायेगी तथा निदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा निर्माणाधीन ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाईन मार्ग के विभिन्न टनलों से निकलने वाले उपखनिज (Muck) में से उपयोगार्थ उपखनिज (Usable material) की मात्रा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 के नियम 9 के अनुसार निर्गत स्वीकृति एवं रिवर ट्रेनिंग के अन्तर्गत प्राप्त अनुज्ञाप्ति में स्वीकृत मात्रा) को स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत (Source of Raw Material) के रूप में मान्य होगा।

हॉट मिक्स प्लांट एवं रेडिमिक्स प्लांट हेतु ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार को स्वीकृत स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांटों से तैयार माल स्रोत (Source of Material) के रूप में मान्य होगा।

प्लांटों में, अनुमत प्राप्त स्रोतों से उपखनिजों की प्राप्ति के समय स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्टोन क्रेशर हेतु ₹ 1.00 प्रति कुन्तल तथा स्क्रीनिंग

प्लांट/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट हेतु ₹ 0.50 प्रति कुन्तल के समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की कार्यदायी संस्था रेल विकास परियोजना लिमिटेड/रेल विकास परियोजना लिमिटेड द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा स्वीकृत प्लांटों का पंजीकरण विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल पर कराया जाना अनिवार्य होगा।

- अनुज्ञा देने हेतु 2.** (1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट संयत्र (Equipment) को परिसर की चाहरदीवारी/कवर्ड फेसिंग (Boundary wall)/Covered Fencing) के अन्दर स्थापित करेगा।
- (2) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी० ऊंची होगी, जिससे धूल कण आदि परिसर से बाहर न आएं।
कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक होने पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी पर ₹ दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।
- (3) (क) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु ऐसा संयत्र स्थापित करना होगा, जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्तर्जन $600 \mu\text{g}/\text{m}^3$ से कम हो।
(ख) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी को ऐसा संयत्र स्थापित करना होगा, जो Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 के निम्न प्रावधानानुसार निर्धारित मानकों निम्न मानकानुसार हो :—

Ambient air quality standards in respect of Noise

Area code	Category of Area/ Zone	Limits in db(A) Leq	
		Day Time	Night Time
(A)	Industrial Area	75	70
(B)	Commercial Area	65	55
(C)	Residential Area	55	45
(D)	Silence Area	50	40

Note –

Day time shall mean time from 6.00 a.m. to 10.00 p.m.

Night time shall mean time from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

- (ग) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट को covered shed के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाने होंगे।
- (4) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।
- (5) संचालक द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि धूल हवा में न उड़े।
- (6) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की संधन हरित पट्टी, जो न्यूनतम तीन परतों में हो, का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयत्र चालू करने के 06 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी।

(Signature)

- (7) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
- (8) सम्पूर्ण क्रशिंग, स्क्रीनिंग, कच्चेर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फब्बारे की स्थापना की जाय, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
- (9) फब्बारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जाये ताकि फब्बारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे।
- (10) कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डिकिटंग सिस्टम स्थापित किया जाये, जिसकी आई0डी फेन के माध्यम से स्क्रिंग की जाये। स्क्रिंग में प्रयुक्त जल को सेटलिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जाये।
- (11) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वीकृति से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish तथा प्लान्ट स्वीकृति के उपरान्त प्लान्ट संचालन से पूर्व Consent to operate लिया जाना अपरिहार्य होगा।
- (12) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालन हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रत्यापित आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा-निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
- (13) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्टों में धूल के उत्सर्जन एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी वही मानक लागू होंगे, जो स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लाटों पर लागू हैं।
- (14) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

आज्ञा से,

(डा० मेहरबान सिंह बिष्ट)

अपर सचिव

स्टोन केशर/मोबाईल स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना तथा प्लांट परिसर में
खनिज भण्डारण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप
(अनुसूची-8)

(03 प्रतियों में)

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

सेवा मे,

निदेशक,
भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराइजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 के अधीन नये स्टोन केशर/मोबाईल स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुमति प्रदान की जाय।

- 1— स्टोन केशर/मोबाईल स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट का नाम:—.....|
- 2— स्टोन केशर/मोबाईल स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट के आवेदक का नाम:—.....
पता—.....
मोबाईल नं0—.....
ई—मेल आई0डी0—.....
- 3— आवेदित स्थल का विवरण —

क्र0सं0	ग्राम	तहसील	खाता सं0	ख0सं0	भूमि की श्रेणी	भूस्वामी का नाम	क्षेत्रफल (है0 मे)	भूमि बन्धक होने या न होने के सम्बन्ध मे टिप्पणी

- 4— प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा)
- 5— प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन मे).....|
- 6— अनुज्ञा शुल्क का विवरण :— चालान सं0.....धनराशि.....दिनांक.....|
- 7— अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है.....|
- 8— आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति.....|
- 9— यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति|
- 10— आर0बी0एन0एल0 का अधिकृत कॉन्ट्रक्टर्स होने की दशा मे आर0बी0एन0एल0 के मध्य हुये अनुबन्ध की प्रति|



- 11— आवेदित क्षेत्र का साइट प्लान की स्वप्रमाणित प्रति..... |
- 12— प्लांट के स्थापना एवं संचालन संबंधी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति |
- 14— यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ—पत्र की प्रति |
- 15— आर०बी०एन०एल० का अधिकृत कॉन्ट्रक्टर्स होने की दशा मे खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति..... |
- 16— आर०बी०एन०एल० का अधिकृत कॉन्ट्रक्टर्स होने की दशा मे आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..... |
- 17— आर०बी०एन०एल० का अधिकृत कॉन्ट्रक्टर्स होने की दशा मे वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण पत्र/नोटराईज्डशपथ पत्र की प्रति..... |
- 18— आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति..... |
- 19— आर०बी०एन०एल०/अधिकृत कॉन्ट्रेक्टर्स का जी०एस०टी० नम्बर..... |
- 20— विभिन्न टनलों से निकलने वाले उपखनिज (Muck) में से उपयोगार्थ उपखनिज (Usable material) की मात्रा, जो रेलवे विकास निगम लिमिटेड के द्वारा लिखित रूप से सूचित किया जायेगा, को स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट मे उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत (Source of Raw Material) के रूप मे मान्य होगा, को प्रस्तुत किया जायेगा।
- 21— प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र..... |

मैं/हम एतदद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर।



**स्टोन केशर/मोबाईल स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना तथा प्लांट परिसर में
खनिज भण्डारण हेतु संयुक्त निरीक्षण आख्या का प्रारूप
(अनुसूची-9)**

1— स्टोन केशर/मोबाईल स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट का नाम:-..... |

2— स्टोन केशर/मोबाईल स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट के आवेदक का नाम:-.....
पता—.....
मोबाईल नं०—.....
ई-मेल आईडी०—.....

3— स्टोन केशर/मोबाईल स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट स्थल के संयुक्त निरीक्षण का दिनांक..... |

4— प्लांट की स्थापना हेतु आवेदित क्षेत्र का विवरण:-

क्र०सं०	ग्राम	तहसील	खाता सं०	ख०सं०	भूमि की श्रेणी	भूस्वामी का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि बन्धक होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी

5— भूस्वामियों द्वारा आवेदक के पक्ष में अनापत्ति के सम्बन्ध में दिये गये किरायानामा/शपथ पत्र की मौके पर जाँच/सत्यापन सम्बन्धी टिप्पणी.....

6— प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (ठन/घंटा)

7— प्रस्तावित स्थल के मध्य भाग के अंक्षाश व देशान्तर.....

8— प्रस्तावित प्लांट हेतु कच्चे माल के स्रोत के सम्बन्ध में (रेलवे विकास निगम द्वारा) टिप्पणी.....

9— प्लांट की कच्चे माल के स्रोत से दूरी.....

10— प्लांट से निकलने वाले उपखनिज का End use (with product size).....

11— प्रस्तावित स्थल पर भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (एक समय पर).....

12— प्रस्तावित स्थल की भूगर्भीय संरचना के साथ स्थल के स्थायित्व के सम्बन्ध में टिप्पणी.....

13— डम्पिंग साईट का विवरण..... |

14— Bore Hole Log का विवरण..... |

15— प्लांट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में टिप्पणी..... |

16— अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है.....।

17— शर्तेः—

स्टोन क्रेशर/मोबाइल स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाइल स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना/संचालन तथा प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति:-

अभियन्ता (सिविल), रेल विकास निगम।
(सदस्य)

क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण
एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
(सदस्य)

संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित
अपर जिलाधिकारी
(सदस्य)

प्रमुख वन संरक्षक (HOFF),
उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में
पदस्थापित वन संरक्षक स्तर का
अधिकारी
(सदस्य)

प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिंचाई
विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित
मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण
अभियन्ता स्तर का अधिकारी
(सदस्य)

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में
पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर
का अधिकारी (सदस्य)

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड द्वारा नामित अपर
निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर के
अधिकारी (संयोजक)